



The Uttaranchal Technical University Act, 2005

Act 5 of 2005

Keyword(s):

Affiliated College, Approved Institution, Autonomous College, College, Existing College, Other Backward Classes of Citizens, Technical Education, University

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 27 जनवरी, 2005 ई0
माघ 07, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 415/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 27 जनवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर दिनांक 27 जनवरी, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 05, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 05, वर्ष 2005)

उत्तरांचल में तकनीकी शिक्षा की उन्नति और विकास के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था के लिए
अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के पचपनवें वर्ष में एतद्वारा उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित-

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

1—(क) यह अधिनियम उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 कहलाएगा।

(ख) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

परिभाषाएँ

2 जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "सम्बद्ध महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसी संस्था से है, जो इस अधिनियम और उक्त विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो ;

(ख) "अनुमोदित संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षा की संस्था से है ;

(ग) "स्वशासी महाविद्यालय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा उत्तरांचल में प्रवृत्त) की

(घ) धारा 42 द्वारा सम्बद्ध अथवा सहयुक्त घोषित महाविद्यालय से है; "महाविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम और विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या किसी संस्था से है ;

(च) "विद्यमान महाविद्यालय" का तात्पर्य किसी ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है, जो तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रही हो और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा उत्तरांचल में लागू) द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा चलाई और अनुरक्षित की जा रही हो (और इसके अन्तर्गत ऐसे विश्वविद्यालय का कोई संक्राय भी है जो तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहा हो);

(छ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

(ज) "विहित" का तात्पर्य विनियमों द्वारा विहित से है ;

(झ) "प्रधानाचार्य" का तात्पर्य महाविद्यालय के प्रधान से है, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाय और उसके अन्तर्गत जहाँ कोई प्रधानाचार्य न हो, वहाँ प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति और प्रधानाचार्य या कार्यवाहक प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में इस रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त उप प्रधानाचार्य भी आता है;

- (ट) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनेये गये विश्वविद्यालय के विनियम से है ;
- (ठ) "तकनीकी शिक्षा" का तात्पर्य अभियंत्रिकी, प्रौद्योगिकी, वास्तुशास्त्र, प्रबन्धन, नगर योजना, भेषजी तथा अनुप्रयुक्त कला और शिल्प में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रमों या क्षेत्रों से है, जिन्हें केन्द्र सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करे ;
- (ड) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय से है;
- (ढ) "उत्तरांचल" से तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;
- (त) "संघटक महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसी संस्था से है जो विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित हो और जिसे विनियमों के अधीन ऐसा घोषित किया गया हो ;
- (थ) "तकनीकी शिक्षा परिषद" का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से है।

अध्याय— दो

विश्वविद्यालय

- 3 (1) देहरादून में उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। **विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन**
- (2) कुलाधिपति, कुलपति और कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के सदस्यों के रूप में विश्वविद्यालय में तत्समय पदधारण करने वाले व्यक्तियों से मिलकर उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय गठित होगा।
- 4 (1) इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगी। **शक्तियों का प्रादेशिक क्षेत्र में प्रयोग**
- (2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यमान महाविद्यालयों से भिन्न प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, धारा 3 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुआ समझा जायेगा और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा उत्तरांचल में लागू) द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से, जिसे आगे इस धारा में पूर्व विश्वविद्यालय कहा गया है, सम्बद्ध या सहयुक्त नहीं रह जायेगा।

**विश्वविद्यालय सभी वर्गों
और मतावलम्बियों के लिए
खुला होगा**

5

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को विद्यमान महाविद्यालय से भिन्न किसी महाविद्यालय या संस्था में, तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहा छात्र ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् पूर्व विश्वविद्यालय के अधीन ऐसी शिक्षा जारी रखने और पूरा करने का हकदार होगा और उसे ऐसा करने की अनुमति भी दी जायेगी तथा पूर्व विश्वविद्यालय ही ऐसे छात्र को पूर्व विश्वविद्यालय में तत्समय प्रवृत्त प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा का आयोजन करेगा और उसे उपाधि या कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करेगा।

विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा, भले ही वे किसी वर्ग या मत के हों:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में विनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है:

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध बनाना मना है:

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय को अनन्य रूप से महिलाओं के लिए पोषित कर सकता है।

**विश्वविद्यालय की शक्तियाँ
और कर्तव्य**

6

विश्वविद्यालय में निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य निहित होंगे, अर्थात्:-

- (क) तकनीकी शिक्षा में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करना और उनका उन्नयन तथा उद्योगों के घनिष्ठ सहयोग से तकनीकी शिक्षा की प्राप्ति के लिए उद्यमिता और सहायक वातावरण का निर्माण करना ;
- (ख) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करना या पहले से ही सम्बद्धता प्राप्त किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना और ऐसे महाविद्यालयों का मार्ग दर्शन करना और उनके कार्य पर नियंत्रण रखना परन्तु प्रौद्योगिक महाविद्यालय पंतनगर के जी0बी0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर से सम्बद्ध एवं नियंत्रणाधीन होने के बावजूद उक्त महाविद्यालय में प्रवेश एवं शैक्षणिक कार्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वहन किये जायेंगे।
- (ग) उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें संस्थित करना और प्रदान करना ;
- (घ) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना और उन्हें उपाधियों या अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना—
(एक) जिन्होंने किसी महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो ; या
(दो) जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय में विनियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्य किया हो ;
- (च) विनियमों में अधिकथित रीति और शर्तों के अधीन मानद उपाधियाँ या अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना ;
- (छ) विनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, छात्र सहायता वृत्तियाँ और फारितोषिक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना ;
- (ज) ऐसी फीस और अन्य प्रभार मांगना और प्राप्त करना जो विनियमों द्वारा नियत किए जायें ;

- (झ) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और समुदायों में तकनीकी शिक्षा की उन्नति के लिए प्राविधान करना ;
- (ट) निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करना—
 (एक) राष्ट्रीय कैंडेट कोर या तत्समान अन्य संगठनों का अनुरक्षण;
 (दो) शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण, और
 (तीन) खेल और खेल-कूद क्लब।
- (ठ) राज्य सरकार द्वारा सृजित पदों पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;
- (ड) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से उपहार, अनुदान, दान या उपकार प्राप्त करना और यथास्थिति, वसीयतकर्ताओं, दानकर्ताओं या अन्तरितियों से चल या अचल सम्पत्ति की वसीयत, दान या अन्तरण प्राप्त करना और उसे धारण करना और उसका प्रबन्ध करना ;
- (ढ) महाविद्यालयों की सम्बद्धता की शर्तें अधिकथित करना और समय-समय पर निरीक्षण द्वारा यह समाधान करना कि ऐसी शर्तें पूरी की जा रही हैं;
- (त) अन्य विश्वविद्यालयों या प्राधिकारियों से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, सहकार्य या सहयोग करना;
- (थ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक ऐसे सभी कार्य करना, चाहे ये उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हों

अध्याय-3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

7 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

विश्वविद्यालय के अधिकारी

- (क) कुलाधिपति;
 (ख) कुलपति;
 (ग) प्रति-कुलपति;
 (घ) कुल सचिव;
 (च) वित्त अधिकारी;
 (छ) परीक्षा नियंत्रक;
 (ज) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी जो विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जायं।

- 8 (1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब भी वह उपस्थित हो तो, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा;
- (2) मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगा;
- (3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से संबंधित ऐसी सूचना, अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करे;
- (4) कुलाधिपति की ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस विधेयक या विनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जायं।

कुलाधिपति

कुलपति

- 9 (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हो।
प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्
(क) तकनीकी शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का, यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव, जो समिति का संयोजक भी होगा;
(ख) अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति;
(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति ;
- (3) कुलपति अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;
- (4) कुलपति की उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ;

प्रतिबन्ध यह है कि कुलपति की उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों में उसके कार्यकाल के दौरान उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

- (5) यदि कुलपति अनुपस्थित रहने, अस्वस्थता या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, वहाँ प्रति-कुलपति या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ प्राध्यापक/ प्राचार्य जिसे कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाय तब तक कुलपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि कुलपति अपना पदभार पुनः ग्रहण न कर ले अथवा यदि कुलपति का पद रिक्त हो तो जब तक स्थायी कुलपति की नियुक्ति न हो जाय।
- (6) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जान-बूझकर इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या स्वयं में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकता है।
- (7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच के अनुध्यात रहते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अग्रोत्तर आदेश न दिया जाय—
(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिए वह अन्यथा हकदार था;
(ख) कुलपति पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा;

- 10 (1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, और—
- (क) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;
- (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा;
- (ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा;
- (घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्रता से प्रकाशित किये जायं और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र नियत दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त हो।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य

- (2) कुलपति कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।
- (3) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।
- (4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किंवा जाना सुनिश्चित करे और कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो इस निमित्त आवश्यक हों।
- (5) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठक बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी: प्रतिबन्ध यह है कि वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है।
- (6) यदि कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना तत्काल कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्यतः उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसमें विनियमों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो यह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जा सकता है जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे निष्प्रभावी कर सकता है या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही, यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तरण से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से सूचित किया जाय, तीन माह के भीतर कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि या उपान्तरित कर सकता है या उसे प्रत्यावर्तित कर सकता है।

- (7) उपधारा (6) की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गई हो।
- (8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि विनियमों द्वारा निर्धारित की जायं।

प्रतिकुलपति

- 11 (1) कुलपति, कार्य परिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के आचार्यों में से वरिष्ठतम आचार्य को प्रतिकुलपति नियुक्त कर सकता है।
- (2) प्रतिकुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।
- (3) प्रतिकुलपति ऐसा मानदेय पाने का हकदार होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
- (4) प्रतिकुलपति ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय की बैठक की अध्यक्षता करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जिन्हें कुलपति उसे सौंपे या प्रत्यायोजित करे।

कुल सचिव

- 12 (1) कुल सचिव, विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा।
- (2) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसी विहित की जायं।
- (3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।
- (4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और समान्य मुहर की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्य परिषद् का पदेन सचिव होगा, और वह कार्य परिषद् के समक्ष ऐसी समस्त

सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विहित किये जायं या कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

- (5) कुल सचिव को विनियमों में यथाउपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

- 13 (1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

वित्त अधिकारी

- (2) वित्त अधिकारी, कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण और वितरण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

- (3) वित्त अधिकारी को कार्य परिषद् में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

- (4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा निवेश से भिन्न कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों या विनियमों के किन्हीं निबन्धनों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा-परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निवेश का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।

- (5) वित्त अधिकारी की पहुंच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी और वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो।

- (6) वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा।

- (7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो समय-समय पर विहित किये जायं।

परीक्षा नियंत्रक

14

- (1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा;
- (2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा;
- (3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अमिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो विनियम द्वारा विहित किये जायं या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा। वह किसी महाविद्यालय से ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो;
- (4) कुलपति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन परीक्षा कार्य से सम्बद्ध कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे इस संबंध में कुल सचिव की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ;
- (5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उसके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्संबंधी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा;
- (6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए, कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा ;
- (7) यदि कभी परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति, परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार संभालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय।

अन्य अधिकारियों की शक्तियां, कर्तव्य और सेवा के निबन्धन और शर्तें

15

इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी और कुल सचिव से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जायं।

अध्याय-4**विश्वविद्यालय के प्राधिकारी****विश्वविद्यालय के प्राधिकारी**

16

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :-

- (क) कार्य परिषद;
- (ख) विद्या परिषद;
- (ग) वित्त समिति;
- (घ) परीक्षा समिति; और

(घ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जायं।

17 (1) कार्यपरिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

कार्य परिषद का गठन

- (क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;
- (ख) प्रतिकुलपति (यदि कोई हो);
- (ग) निदेशक, आई०आई०टी०, रुड़की;
- (घ) कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर;
- (च) तकनीकी शिक्षा विभाग में राज्य सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव ;
- (छ) वित्त विभाग में राज्य सरकार के सचिव/प्रमुख सचिव ;
- (ज) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या उसका नाम निर्देशिती;
- (झ) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो प्रतिष्ठित उद्योगपति;
- (ट) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट दो ख्यातिप्राप्त प्रौद्योगिकीविद;
- (ठ) राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम में नाम-निर्दिष्ट महाविद्यालयों के दो प्राचार्य।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति को कार्य परिषद के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह स्नातक न हो।

(3) खण्ड (झ), (ट) और (ठ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(4) कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद के सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट होने और सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह या उसका नातेदार विश्वविद्यालय में, या उसके निमित्त किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक या विश्वविद्यालय को माल प्रदाय करने के लिए या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने के लिए कोई संविदा स्वीकार करता है।

स्पष्टीकरण:— इस उपधारा में "नातेदार" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-6 में परिभाषित नातेदारों से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहिन, भाई का पुत्र और भाई की पुत्री भी आते हैं।

18 (1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात:—

कार्य परिषद की शक्तियां और कर्तव्य

- (क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण ;
- (ख) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण ;
- (ग) कुलपति की उपलब्धियों और सेवा के निबंधनों और शर्तों की संस्तुति ;
- (घ) शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुमोदन ;

- (च) विनियमों को बनाना, संशोधन या निरसन ;
- (छ) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना।
- (ज) विश्वविद्यालय के व्ययधिकार में रखी गयी किसी निधि का प्रशासन ;
- (झ) विश्वविद्यालय की किसी जंगम, स्थावर या बौद्धिक संपत्ति का अर्जन या अन्तरण ;
- (ट) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के आकार और उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश देना;
- (ठ) ऐसी समितियों की नियुक्ति जो विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए अपेक्षित हों ;
- (ड) विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी परिलक्षियों और सेवा के निबंधन और शर्तों का अवधारण ;
- (ढ) विश्वविद्यालय के बैंक खातों का संचालन प्राधिकृत करना;
- (त) इस अधिनियम या विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य सभी विषयों का विनियमन और निर्धारण।

- (2) कार्य परिषद की प्रत्येक बैठक ऐसे दिनांक, समय और स्थान पर होगी जो कुलपति द्वारा नियत किया जाय।
- (3) कार्य परिषद के सदस्य ऐसा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जैसा विहित किया जाय।
- (4) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्य परिषद द्वारा बंधक, विक्रय, विनिमय, उपहार या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर संपत्ति का (सिवाय प्रबंध के सामान्य अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अंतरण किया जायेगा और न सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में या -राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लिया जायेगा।
- (5) कार्य परिषद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय नहीं करेगी।
- (6) कार्य परिषद विनियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी ऐसी कोई शक्ति, जिसे वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकती है।

विद्या परिषद

- 19 (1) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और विश्वविद्यालय में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसकी ऐसी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे जैसे उसे विनियमों द्वारा प्रदत्त किये जायं या उस पर अधिरोपित किये जायं और वह शिक्षा संबंधी समस्त विषयों पर, कार्य परिषद को सलाह दे सकती है।
- (2) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) कुलपति	—अध्यक्ष
(ख) प्रतिकुलपति	—सदस्य

- (ग) विद्यालयों के ऐसे पांच प्राचार्य जो कार्य परिषद के सदस्य न हों -सदस्य
 (घ) गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर के कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट उस विश्वविद्यालय का एक विभागाध्यक्ष -सदस्य
- (3) उपधारा (2) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

- 20 (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-
 (क) कुलपति -अध्यक्ष
 (ख) वित्त विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव अथवा उसका नाम निर्देशिती -सदस्य
 (ग) तकनीकी शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव -सदस्य
 (घ) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट कार्य परिषद के दो सदस्य -सदस्य
 (च) वित्त अधिकारी -सदस्य

वित्त समिति

- (2) वित्त समिति कार्य परिषद को विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से संबद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय और साधनों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किन्हीं विशेष कारणों से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद पर आबद्धकर होगी।
- (3) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायें।
- (4) जब तक कि वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्य परिषद उस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्य परिषद वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपनी असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

- 21 (1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जो विनियमों में यथा उपबंधित रूप से गठित की जायेगी।
- (2) समिति सामान्यतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन और सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्:-
 (क) परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटर) की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;
 (ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन और उनके बारे में विद्या परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

परीक्षा समिति

- (ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्या परिषद को संस्तुति करना;
- (घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की समीक्षा; उसे अंतिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा।
- (3) परीक्षा समिति उतनी उपसमितियां नियुक्त कर सकती है जितनी वह उचित समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों या उपसमितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से संबंधित मामलों के संबंध में कार्यवाही करने और उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है।
- (4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या यथास्थिति, किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, किसी परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग करने का दोषी हो।
- (5) इस अधिनियम और विनियमों के अध्याधीन रहते हुए, परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करने के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जैसा वह आवश्यक समझे।

अन्य प्राधिकारी

22

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे, जो विहित किये जायं।

तकनीकी शिक्षा हेतु राज्य समन्वय परिषद का गठन

23

- (1) राज्य में तकनीकी शिक्षा के क्रियाकलापों के प्रभावी समन्वय हेतु, इस विश्वविद्यालय के विशेषतः अध्यापन, अनुसन्धान, शिक्षा के विस्तार एवं अन्य समान कार्यों के संबंध में और विश्वविद्यालय के अकादमिक एवं वित्तीय क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के निरीक्षण हेतु राज्य सरकार शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु एक परिषद का गठन करेगी जो "तकनीकी शिक्षा हेतु राज्य समन्वय परिषद" कहलायेगी।
- (2) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, मुख्यतः—
- (i) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कृषि विभागों के कार्यरत प्रमुख सचिव या सचिव।
- (ii) पन्तनगर विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति।
- (iii) तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रमुख सचिव/ सचिव परिषद के सदस्य सत्रिव होंगे।
- (3) राज्य समन्वय परिषद कुलाधिपति की सहमति से विश्वविद्यालय को आवश्यक निर्देश दिये जाने के लिए अधिकृत होगी जो कि विश्वविद्यालय के लिए अन्तिम और बाध्यकारी होगी।
- (4) परिषद अपने क्रियाकलापों हेतु ऐसी प्रक्रिया अपना सकती है जो वह उचित समझे।

अध्याय-5

सम्बद्धता

महाविद्यालयों की सम्बद्धता

- 24 (1) यह धारा महाविद्यालयों पर लागू होगी।
- (2) कार्य परिषद, कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो विहित की जाय, पूरा करने वाले महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी या पहले से ही सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या उसे वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी।
- (3) किसी महाविद्यालय के लिए उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य विद्यालय या विश्वविद्यालय से अध्यापन या अनुसंधान कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करना विधिपूर्ण होगा।
- (4) इस अधिनियम द्वारा, यथा उपबंधित के सिवाय, किसी महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारीवृन्द पर अधीक्षण तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा। परन्तु प्रौद्योगिक महाविद्यालय पंतनगर के जी0बी0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर से सम्बद्ध एवं उनके नियन्त्रणाधीन होने के बावजूद उक्त महाविद्यालय में प्रवेश एवं शैक्षणिक कार्य इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्वहन किए जायेंगे।
- (5) प्रत्येक महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा, जिन्हें कार्य परिषद या कुलपति मांगे।
- (6) कार्य परिषद, प्रत्येक महाविद्यालय का अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर पांच वर्ष से अनधिक अंतरालों पर निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद को भेजी जायेगी।
- (7) कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षित किसी महाविद्यालय को ऐसी अवधि के भीतर, जो दिनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी कार्यवाही करने के लिए निर्देश दे सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।
- (8) कार्य परिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी निर्देश का अनुपालन करने में या सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से विनियमों के उपबंधों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।
- (9) उपधारा (2) और (8) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है तो, कुलाधिपति, प्रबंध तंत्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेगा या उसमें कमी कर सकेगा।

प्रबंध तंत्र की सदस्यता के लिये अनर्हता 25

कोई भी व्यक्ति (केवल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न) किसी महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह या उसका नातेदार ऐसे महाविद्यालय में या उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक या ऐसे महाविद्यालय को माल का प्रदाय करने के लिए या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने के लिए कोई संविदा स्वीकार करता है।

स्पष्टीकरण— परन्तु "नातेदार" का वही अर्थ होगा जो उसके लिये धारा 17 की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में दिया गया है।

निरीक्षण और जांच

26

(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जैसा वह निर्देश दे, किसी महाविद्यालय के, जिसके अंतर्गत उसके भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी हैं और महाविद्यालय द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य काम का निरीक्षण कराने अथवा ऐसे महाविद्यालय के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का निश्चय करे तो वह उसकी सूचना महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र को देगी और प्रबंध तंत्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि तथा यदि प्रबंध तंत्र कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में असफल रहे तो महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे प्रबंध तंत्र की ओर से सुनवाई का अधिकार होगा। किन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच के समय महाविद्यालय की ओर से कोई विधि व्यवसायी न तो उपस्थित होगा, न वकालत करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों के उपस्थित होने के लिए तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 तथा 346 के अर्थात्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही न्यायिक समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र को ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम सूचित कर सकेगी और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश दे सकेगी और प्रबंध तंत्र ऐसे निर्देशों का तत्काल अनुपालन करेगा।

(5) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन प्रबंध तंत्र को दी गयी सूचना के बारे में कुलपति को जानकारी देगी और कुलपति कार्य परिषद को राज्य सरकार के दृष्टिकोण और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सलाह से सूचित करेगा।

- (6) तत्पश्चात् कुलपति, ऐसे समय के अन्दर जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे उस कार्य परिषद द्वारा की गई या की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (7) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के अंदर राज्य सरकार के समाधान के रूप में कार्यवाही नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देश से बाध्य होंगे।
- (8) राज्य सरकार किसी भी समय महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र या प्राचार्य से ऐसे निरीक्षण या जांच के संबंध में कोई जानकारी मांग सकेगी।
- 27 विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी विषय में शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के आयोजन तथा संचालन हेतु एक या एकाधिक संस्थान स्थापित कर सकेगा। **संस्थान**
- 28 किसी महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश देने या प्रवेश के पश्चात् पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से या उसकी ओर से विनियमों में निर्धारित दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, नहीं लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा। **महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये कोई दान आदि प्रमारित करने पर रोक**
- 29 यदि किसी महाविद्यालय द्वारा, जिसमें राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं, अंशदान या दान चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए वह महाविद्यालय को दिया गया हो और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय की दशा में कोई नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाते में जमा किया जायेगा, जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायेगा। **महाविद्यालय को अंशदान और दान**

अध्याय-8

विनियम

- 30 (1) विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा बनाए जायेंगे। **विनियम कैसे बनाये जायेंगे**
- (2) कार्य परिषद समय-समय पर नये या अतिरिक्त विनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई विनियम तब तक नहीं बनायेगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप से अभिव्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद द्वारा विचार न किया गया हो।

- (3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किए गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्य परिषद से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त विनियम बनाने या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्य परिषद ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त विनियम बना सकेगी या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी।

विनियम

31

इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए विनियमों में विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी विषय के लिए प्राविधान किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित उपबन्ध किये जायेंगे:-

- (क) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य;
- (ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा योजना की स्थापना;
- (ग) मानद उपाधियाँ और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना;
- (घ) उपाधियाँ और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं वापस लेना;
- (च) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता का विशेषाधिकार प्रदान किया जाय और वे शर्तें जिनके अधीन कोई ऐसा विशेषाधिकार वापस लिया जा सके;
- (छ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियाँ और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं और उनके लिए अर्हताएं तथा उन्हें प्रदान करने या प्राप्त करने के सम्बन्ध में ली जाने वाली धनराशि;
- (ज) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और परीक्षा में प्रवेश, उपाधियों तथा विश्वविद्यालय की अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए ली जाने वाली फीस;
- (झ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक और पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें ;
- (ट) परीक्षाओं का संचालन, जिनके अन्तर्गत परीक्षण निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों के पद की शर्तें और उनकी नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं ;

- (ठ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों (कुलाधिपति को छोड़कर) और कर्मचारियों को हटाने की शक्ति और उनकी परिलक्षियों और सेवा के निबन्धन और शर्तों;
 (ड) अन्य सभी विषय, जो इस अधिनियम द्वारा विनियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे।

अध्याय-7

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा

- 32 (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद के निर्देशों के अधीन तैयार किया जाएगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होंगे। **वार्षिक प्रतिवेदन**
- (2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा, जो विहित किया जाय।
- (3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।
- 33 (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र कार्य परिषद के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक स्थानीय निधि लेखा, उत्तरांचल या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पंद्रह माह से अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखा-परीक्षा की जायेगी। **लेखा और लेखा-परीक्षा**
- (2) वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रति उस पर लेखा-परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद के संप्रक्षणों, यदि कोई हों, के साथ प्रत्येक वर्ष, 30 सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।
- (3) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये संप्रेक्षण कार्य परिषद के ध्यान में लाये जायेंगे। ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य परिषद के विचार, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 34 (1) जब कभी राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के किसी धन या संपत्ति की हानि, दुर्घ्यय या दुरुपयोजन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हो या राज्य सरकार स्वयं उपयुक्त समझे, तो वह निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तरांचल या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय को विशेष लेखा परीक्षा किये जाने का निर्देश दे सकेगी। **अधिनार**

- (2) विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के उस अधिकारी को, जिसकी उपेक्षा या आचरण के कारण उपधारा (1) में निर्दिष्ट हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन हुआ है एक नोटिस जारी करके उससे यह अपेक्षा करेगी कि वह राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत समय के भीतर अपने कृत कार्य को स्पष्ट करे।
- (3) राज्य सरकार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् इस निमित्त उपयुक्त विनिश्चय कर सकेगी।
- (4) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा अवधारित अधिभार का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी ठहराया जाय, तो अधिभार भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्देशित की जाय, वसूल किया जायेगा।

अध्याय-8

विविध

प्राधिकारियों के अधिकारियों और सदस्यों को नियुक्त करने की रीति 35

- (1) इस अधिनियम या विनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, अधिकारियों और प्राधिकारियों में से सदस्य यथासम्भव निर्वाचन से भिन्न रीति से चुने जायेंगे।
- (2) यदि इस अधिनियम या विनियमों में चकानुकम से या ज्येष्ठता या अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिए कोई प्राविधान किया गया हो, तो चकानुकम और ज्येष्ठता और अन्य अर्हताएँ अवधारित करने की रीति वही होगी, जो विहित की जाय।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति 36

- (1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस शेष अवधि के लिए होगा, जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है सदस्य बना रहता।
- (2) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या बाहरी, तब तक ऐसा प्राधिकारी अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना 37

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि:-

- (क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी, या

- (ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, या
- (ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी, या
- (घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव पड़ता हो।

38

कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ है जो समा की राय में नैतिक अधमता संबंधित अपराध हो या इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है या उसने इस प्रकार व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटां सकेगी और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकेगी।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

39

यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अन्तर्गत विनियम की विधिमान्यता से संबंधित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

कुलाधिपति को संदर्भ

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश:-

- (क) उस दिनांक के जबकि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात, या
- (ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जायेगा।

40

राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के तात्पर्य या आशय से किसी कार्य के लिए न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा, न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

वाद का वर्जन

41

- (1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को सिद्ध करने की रीति

होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती, तो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती।

- (2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दे।

अपील करने का अधिकार 42

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी अथवा छात्र को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या ऐसे संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी विनिश्चय के विरुद्ध विनिर्दिष्ट समय के अन्दर कार्य समिति को अपील करने का अधिकार होगा तथा तत्पश्चात् कार्य परिषद् उस विनिश्चय की, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्टि कर सकती है, उसमें संवर्धन कर सकती है अथवा उसको बदल सकती है।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति 43

- (1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध ऐसी अवधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लाभ के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या सीमचीन समझे, प्रभावी होंगे।

परन्तु 31 दिसम्बर, 2005 के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

आज्ञा से,

आई० जे० मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

No. 415/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, January 27, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Technical University Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 05 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 27-01-2005.

THE UTTARANCHAL TECHNICAL UNIVERSITY ACT, 2005
(THE UTTARANCHAL ACT NO. 05 OF 2005)

To Provide for the establishment of a Technical University in Uttaranchal for the advancement and development of Technical Education and for matters connected therewith or incidental thereto.

AN

ACT

Be it enacted by the Uttaranchal Legislative Assembly in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :-

Chapter-I

Preliminary

1. (a) This Act may be called the Uttaranchal Technical University Act, **Short title and commencement**
2005.
(b) It shall come into force at once.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,- **Definitions**
 - (a) 'Affiliated College' means an institution affiliated to the University in accordance with the provisions of this Act and Regulations of that University;
 - (b) 'Approved Institution' means an institution of technical learning approved by the University/ State Government;
 - (c) 'Autonomous College' means an affiliated or associated college declared as such in accordance with the provisions of section 42 of U.P State Universities Act, 1973 (as applicable to the State of Uttaranchal);
 - (d) 'College' means a college or an institution affiliated to the University in accordance with this Act and the Regulations;

- (e) 'Existing College' means a college or an institution which imparts technical education and is run and maintained by a University established by or under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (as applicable to the State of Uttaranchal) (and includes a faculty of such University imparting technical education);
- (f) 'Other Backward Classes of Citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule 1 of Uttaranchal the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, (Adaptation and Modification) Order, 2001 ;
- (g) 'Prescribed' means prescribed by the Regulations;
- (h) 'Principal' means the head of the college, by whatever name called, and includes where there is no Principal, a person for the time being duly appointed, To act as Principal and in the absence of the Principal or working or the acting Principal the Vice Principal, duly appointed as such;
- (i) 'Regulations' means the Regulations of the University made under this Act;
- (j) 'Technical Education' means programmes of education, research and training in Engineering, Technology, Architecture, Management, Town Planning, Pharmacy and Applied Arts and Crafts and such other programmes or areas as the Central Government may in consultation with the All India Council for Technical Education, by notification in the Gazette, declare;
- (k) 'University' means the Uttaranchal Technical University established under section 3 of this Act;
- (l) 'Uttaranchal' means the State of Uttaranchal.
- (m) 'Constituent College' means an institution maintained by the University or by the State Government and declared as such by the Regulations;

- (n) 'Council for Technical Education' means the All India Council for Technical Education established under section-3 of the All India Council for Technical Education Act, 1987;

Chapter -II
The University

3.

- (1) There shall be established at Dehradun a University by the name of Uttaranchal Technical University.
- (2) The Chancellor, the Vice-Chancellor and the members of the Executive Council and the Academic Council for the time being holding office as such in the University shall constitute a body corporate by the name of the Uttaranchal Technical University

**Establishment
and
incorporation
of the
University**

4.

- (1) The University shall, in the exercise of its powers under this Act, have jurisdiction over the whole State of Uttaranchal.
- (2) Every college or institution other than an existing college, imparting technical education in the State on the date of commencement of this Act shall with effect from such date as may be notified in this behalf by the State Government, be deemed to be affiliated to the University established under Section 3 and shall cease to be affiliated to or associated with the University established by or under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (As applicable to the State of Uttaranchal) hereinafter referred to in this section as erstwhile University;

**Territorial
exercise of
powers**

Provided that a student pursuing his study in technical education in any college or institution other than existing College on the date of such commencement of the Act shall be entitled and allowed to continue and complete such study under the erstwhile University after such commencement and the erstwhile University shall hold examination or such student and confer degree or any other academic distinction on him in accordance with the procedure in force for the time being in the erstwhile University.

**University open
to all classes or
creeds.**

5.

The University shall be open to all persons irrespective of class or creed:

Provided that nothing in this Section shall be deemed to require the University to admit to any course of study more than the number of students as may be determined by the Regulations.

Provided further that nothing in this Section shall be deemed to prevent the University from making special provision for admission of students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes of citizens.

Provided also that the University may maintain any college exclusively for women.

**Powers &
Duties of the
University:**

6.

The University shall have the following powers and duties namely:-

- (a) to provide and upgrade education, training and research in technical education and to create entrepreneurship and conducive environment for pursuit of the technical education in close cooperation with industries;
- (b) to admit any college to privileges of affiliation or to enlarge the privileges of any college already affiliated, or to withdraw or curtail any such privilege and guide and control the work of such colleges, provided that whereas the college of Technology, Pantnagar though under the control of and attached to the G.B. Pant Agriculture and Technology University, Pantnagar, yet the admission and academic functions of the said college shall be conducted under the provision of this act.
- (c) to institute and confer degrees or other academic distinctions ;
- (d) to hold examinations for, and to grant and confer degrees or other academic distinctions to and on, persons who-
 - (One) have pursued a course of study in a college; or

(Two) have carried on research in a college recognized in that behalf by the University, under conditions laid down in the Regulations.

- (e) to confer honorary degrees or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the Regulations;
- (f) to institute and award fellowships, scholarships, studentship, exhibitions and prizes in accordance with the Regulations;
- (g) to demand and receive such fees and other charges as may be fixed by Regulations;
- (h) to make provisions for the advancement of technical education amongst classes and communities which are educationally backward;
- (i) to make provisions for:-
 - (One) the maintenance of National Cadet Corps or other similar organization;
 - (Two) physical and military training; and
 - (Three) sports and athletic clubs.
- (j) to make appointments of officers and other employees of the University to the posts created by the State Government;
- (k) to receive gifts, grants, donations or benefactions from the State Government or the Central Government and to receive bequests, donations or transfers of movable or immovable property from testators, donors or transferors, as the case may be, and to hold and manage the same;
- (l) to lay down the conditions of affiliation of colleges and to satisfy itself by periodical inspection that such conditions are satisfied;
- (m) to cooperate or collaborate with other Universities and authorities in such manner and for such purposes as the University may determine from time to time;
- (n) to do all such other acts or things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be necessary to further the objects of the University.

Chapter - III**Officers of
the
University**

7. The following shall be the officers of the University:-
- (a) the Chancellor;
 - (b) the Vice-Chancellor;
 - (c) the Pro-Vice-Chancellor ;
 - (d) the Registrar ;
 - (e) the Finance Officer ;
 - (f) the Controller of Examinations; and
 - (g) such other officers of the University as may be declared by the Regulations to be the officers of the University.

**The
Chancellor**

- 8.
- (1) The Governor shall be the Chancellor of the University. He shall by virtue of his office, be the Head of the University and shall, when present, preside at the convocation of the University.
 - (2) Every proposal for conferment of an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.
 - (3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to furnish such information or records relating to the administration of the affairs of the University as the Chancellor may call for.
 - (4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by or under this Act or the Regulations.

**The Vice-
Chancellor**

- 9.
- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor from amongst distinguished persons in the field of technical education whose names are submitted to him by the committee constituted in accordance with the provisions of sub- section (2).

Provided that the first Vice-Chancellor shall be appointed by the State Government.

- (2) The committee referred to in sub section (1) shall consist of the following members, namely:-
 - (a) Principal Secretary or Secretary to the State Government in the Technical Education Department as the case may be, who shall also be the convener of the committee;
 - (b) One person nominated by the All India Council for Technical Education;
 - (c) One person nominated by the Chancellor.
- (3) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office.
- (4) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be determined by the State Government from time to time.

Provided that the emoluments and other conditions of service of Vice-Chancellor shall not be varied to his disadvantage during the term of his office.
- (5) Where the Vice-Chancellor is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the Pro-Vice-Chancellor or in their absence senior Professor / Reader nominated by the Vice-Chancellor or in his absence senior Professor/Principal nominated by the Chancellor shall discharge the functions of the Vice-Chancellor until the Vice-Chancellor resumes his duties or if the post of the Vice Chancellor is vacant until the permanent Vice Chancellor is appointed.
- (6) If, in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor willfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such enquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.

(7) During the pendency or in contemplation of any inquiry, referred to in sub-section (6), the Chancellor may order that till further orders:

- (a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled;
- (b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

**Powers and
Duties of
the Vice-
Chancellor**

10.

- (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall-
 - (a) exercise general supervision and control over the affairs of the University and Colleges;
 - (b) give effect to the decisions of the authorities of the University;
 - (c) in the absence of the Chancellor, preside at the convocation of the University;
 - (d) be responsible for the maintenance of discipline in the University;
 - (e) be responsible for holding and conducting the University examinations properly and at due times and for ensuring that the results of such examinations are published expeditiously and that the academic session of the University starts and ends on due dates.
- (2) The Vice-Chancellor shall be *ex-officio* member and Chairman of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee.
- (3) The Vice-Chancellor shall have the right to speak in and otherwise to take part in the meeting of any other authority or body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.
- (4) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act and Regulations and he shall, without prejudice to the powers of the Chancellor, possess all such powers as may be necessary in that behalf.

- (5) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee.

Provided that he may delegate such power to any other officer of the University.

- (6) Where any matter is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit and shall forthwith report the action taken by him to the Chancellor and also to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with that matter.

Provided that no such action shall be taken by the Vice-Chancellor without the previous approval of the Chancellor, if it involves a deviation from the provisions of the Regulations.

Provided further that if the officer, authority or other body is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor who may either confirm the action taken by the Vice-Chancellor or annul the same or modify it in such manner, as he thinks fit and thereupon, it shall cease to have effect or, as the case may be, take effect in the modified form, so however, that such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Vice-Chancellor.

Provided also that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the Executive Council within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon, the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

- (7) Nothing in sub-section (6) shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorized and provided for in the budget.
- (8) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be laid down by the Regulations

**The Pro
Vice-
Chancellor**

11.

- (1) The Vice-Chancellor may, with the approval of the Executive Council appoint the senior most Professor as Pro-Vice-Chancellor from amongst the professors of the University/Colleges.
- (2) The Pro Vice-Chancellor shall hold the office at the pleasure of the Vice-Chancellor.
- (3) The Pro-Vice-Chancellor shall be entitled to such honorarium as may be determined by the State Government from time to time.
- (4) the Pro Voice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters, as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall preside over the meeting of the University in the absence of the Vice-Chancellor and shall exercise such other powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor.

**The
Registrar**

12.

- (1). The Registrar shall be a whole-time officer of the University.
- (2). The Registrar shall be appointed by the State Government on such terms and conditions as may be prescribed.
- (3). The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.
- (4). The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University. He shall be *ex-officio* Secretary of the Executive Council and shall be bound to place before the Executive Council all such information as may be necessary for the transaction of its business. He shall also perform

such other duties as may be prescribed or required from time to time, by the Executive Council or the Vice- Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote.

13. (1) There shall be a Finance Officer for the University, who shall be appointed by the State Government by notification and his remuneration and allowances shall be paid by the University. **The Finance Officer**
- (2) The Finance Officer shall be responsible for presenting the budget (annual estimates) and the statement of the accounts to the Executive Council and also for drawing and disbursing funds on behalf of the University.
- (3) The Finance Officer shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote.
- (4) The Finance Officer shall have the following duties:-
- to ensure that no expenditure, not authorized in the budget is incurred by the University otherwise than by way of investment;
 - to disallow proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or the terms of any Regulations;
 - to ensure that no other financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularities pointed out during audit;
 - to ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed.
- (5) The Finance Officer shall have access to and may require the production of such records and documents of the University and the furnishing of such information pertaining to its affairs as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.
- (6) All contracts shall be entered into and signed by the Finance Officer on behalf of the University.
- (7) Other powers and functions of the Finance Officer shall be such as may be prescribed by the Regulations.

The Controller of Examinations

- (1) The Controller of Examinations shall be a whole time officer of the University.
- (2) The Controller of Examinations shall be appointed by the State Government by notification and his remuneration and allowances shall be paid by the University.
- (3) The Controller of Examinations shall be responsible for the due custody of the records pertaining to his work. He shall be *ex-officio* Secretary of the Examinations Committee of the University and shall be bound to place before such Committee all such information as may be necessary for transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Regulations or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote. He may require, from any college, the production of such return or the furnishing of such information as may be necessary for the discharge of his duties.
- (4) Subject to the superintendence of the Vice-Chancellor, the Controller of Examinations shall have administrative control over the employees working under him and have, in this regard, all the powers of the Registrar.
- (5) Subject to the superintendence of the Examination Committee, the Controller of Examinations shall conduct the examinations and make all other arrangements therefore and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.
- (6) The Controller of Examinations shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University except in accordance with the order of the State Government.
- (7) While the Controller of Examinations is for any reason unable to act or the office of Controller of Examinations is vacant, all the duties of the office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice-Chancellor, until the Controller of

Examinations resumes his duties or, as the case may be, the vacancy is filled.

15. Except as otherwise provided in this Act, the mode of appointment, terms and conditions of service and the powers and duties of the officers of the University other than the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Finance Officer and the Registrar shall be such as may be prescribed.

**Powers,
Duties, Terms
and
Conditions of
Service of
Other Officers**

Chapter – IV

16.

The following shall be the Authorities of the University , namely:-

- a. the Executive Council;
- b. the Academic Council;
- c. the Finance Committee;
- d. the Examination Committee; and
- e. such other authorities as may be declared by the Regulation to be Authorities of the University.

**Authorities of
the University**

17.

(1) The Executive Council shall consist of :-

- (a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof;
- (b) the Pro-Vice-Chancellor, if any;
- (c) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Technical Education Department.
- (d) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Finance Department;
- (e) Director , IIT Roorkee;
- (f) Vice-Chancellor G.B. Pant University of Agriculture & Technology, Pant Nagar;
- (g) Chairman, All India Council for Technical Education or his nominee;
- (h) Two reputed industrialists nominated by the Chancellor on the recommendation of the State Government;
- (i) Two eminent technologists nominated by the Chancellor on the recommendation of the State Government;

**Constitution
of the
Executive
Council**

- (j) Two Principals of colleges, by rotation, nominated by the State Government.
- (2) Notwithstanding anything in subsection (1), no person shall be appointed as a member of the Executive Council unless he is a graduate.
- (3) The term of office of members mentioned in clause (h), (i) and (j) shall be two years.
- (4) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Executive Council if he or his relative, accepts remuneration for any work in, or for, the University or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for the University.

Explanation : In this sub-section "relative" means the relations defined in section (6) of the Companies Act, 1956 and includes the wife's (or husband's) brother, wife's (or husband's) father, wife's (or husband's) sister), brother's son and brother's daughter.

**Powers and
Duties of the
Executive
Council**

18.

- (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University and shall have the following powers, namely:-
- (a) to supervise and control the affairs of the University;
- (b) to hold and control the property and funds of the University;
- (c) to recommend emoluments and terms and conditions of service of the Vice-Chancellor;
- (d) to approve academic programmes;
- (e) to make, amend or repeal Regulations;
- (f) to prepare the budget of the University;
- (g) to administer any funds placed at the disposal of the University;
- (h) to acquire or transfer any movable, immovable or intellectual property of the University;
- (i) to direct the form and use of the common seal of the University;

- (j) to appoint such committees as may be required for the efficient functioning of the University;
 - (k) to determine the emoluments and terms and conditions of service of the staff of the University;
 - (l) to authorize operation of bank accounts of the University;
 - (m) to regulate and determine all other matters concerning the University in accordance with this Act or the Regulations.
- (2) Every meeting of the Executive Council shall be held on such date, time and place as may be fixed by the Vice-Chancellor.
 - (3) The Members of the Executive Council shall be entitled to such allowance as may be prescribed.
 - (4) No immovable property of the University shall, except with the prior sanction of the State Government, be transferred (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) by the Executive Council by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise nor shall any money be borrowed, or advance taken on the security thereof except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the University from the State Government or, with the previous sanction of State Government, from any other person.
 - (5) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non- recurring expenditure to be incurred in each financial year fixed by the Finance Committee.
 - (6) The Executive Council may, subject to any conditions laid down in the Regulations, delegate such of its powers as, it deems fit, to an officer or any other Authority of the University or Committee appointed by it.
19. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the Regulations, have the control and general regulation of, and be responsible for the maintenance of standard of instruction,

**Academic
Council**

education and examinations in the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Regulations and may advise the Executive Council on all academic matters,.

(2) The Academic Council shall consist of the following members namely:-

- | | |
|---|----------|
| a. The Vice- Chancellor | Chairman |
| b. The Pro-Vice-Chancellor (if any) | Member |
| c. Five such Principals of colleges who are not members of the Executive Council | Member |
| d. One Head of the Department of the University of Agriculture and Technology, Pantnagar, nominated by the Vice-Chancellor of that University | Member |
| e. One Head of the Department of the Indian Institute of Technology, Roorkee, nominated by the Director of that Institute | Member |

(3) The term of office of the members referred to in clause (c) of sub-section (2) shall be one year.

Finance Committee 20.

(1) The Finance Committee shall consist of the following members, namely:

- | | |
|---|----------|
| a. The Vice-Chancellor; | Chairman |
| b. The Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Technical Education Department; | Member |
| c. The Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Finance Department; | Member |
| d. Two members of the Executive Council nominated by the Vice- Chancellor; and | Member |
| e. The Finance Officer | Member |

(2) The Finance Committee shall advise the Executive Council on matters relating to the administration of property and funds of the University. It shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may, for any special

reasons, revise during the financial year the limit of expenditure so fixed and the limits so fixed shall be binding on the Executive Council.

- (3) The Finance Committee shall have such other powers and duties as may be conferred or imposed on it by this Act or the Regulations.
- (4) Unless a proposal having financial implications has been recommended by the Finance Committee, the Executive Council shall not take a decision thereon, and if the Executive Council disagrees with the recommendation of the Finance Committee, it shall refer the proposal back to the Finance Committee with reasons for the disagreement and if the Executive Council again disagrees with the recommendation of the Finance Committee the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

21.

**Examination
Committee**

- (1) There shall be an Examination Committee in the University, the constitution of which shall be such as may be provided for in the Regulations.
- (2) The Committee shall supervise generally all the examinations of the University, including moderation and tabulation and perform the following functions, namely:-
 - (a) to appoint examiners and moderators and, if necessary, to remove them;
 - (b) to review from time to time the results of the University examinations and submission of reports, thereon to the Academic Council;
 - (c) to make recommendations to the Academic Council for the improvement of the examination system;
 - (d) to scrutinize the list of examiners proposed by the Board of Studies, finalize the same and declare the result of the University.
- (3) The Examination Committee may appoint such number of sub-committee as it thinks fit, and in particular, may delegate to any

one or more persons or sub- committee, the power to deal with and decide cases relating to the use of unfair means by the examinees.

- (4) Notwithstanding anything contained in this Act it shall be lawful for the Examination Committee or as the case may be, for a sub-committee or any person to whom the Examination Committee has delegated its power in this behalf under sub-section (3), to debar an examinee from future examinations of the University, if in its or his opinion, such examinee is guilty of using unfair means at any such examination.
- (5) Subject to the provisions of this Act and the Regulation, the Examination Committee may issue such directions as it considers necessary for making arrangements for conducting the examinations.

**Other 22.
Authorities**

The Constitution, powers and duties of other Authorities of the University shall be such as may be prescribed.

**Constitution 23.
of state
Co-ordination
council for
Technical
Education**

- (1) For the purposes of effective co-ordination of technical education activities of the Universities set up in the State, particularly in relation to teaching, research, extension education and other matters of common interest and also for having periodical evaluation of the functioning, of, and for supervision over the Universities and their academic and financial activities and programmes, the State Government shall constitute a Council for Education and Research to be called " The State Coordination Council for Technical Education" .
- (2) The Council shall have the following members namely :-
- (i) the Principal Secretary is / Secretary is in charge of Higher Education, Technical Education and Agriculture to the State Government,
 - (ii) the Vice Chancellors of the G.B. Pant Agriculture University, Kumaun University, H.N.B. Garhwal University, Technical University .
 - (iii) the Principal Secretary/ Secretary in charge of Technical Education shall be the member conviner of the Council.

- (3) The State Coordination Council shall have the power to issue necessary directions to the Universities, with the previous concurrence of the Chancellor, which shall be final and binding on the Universities.
- (4) The Council shall, in conducting its business, determine such procedure as it may deem fit.

CHAPTER - V AFFILIATION

24. (1) This Section shall apply to the colleges.
- (2) The Executive Council may, with the previous sanction of the Chancellor, admit any college which fulfils such conditions of affiliation, as may be prescribed to the privileges of affiliation or enlarge the privileges of any college already affiliated or withdraw or curtail any such privilege.
 - (3) It shall be lawful for a college to make arrangement with any other college situated in the same local area, or with the University, for co-operation in the work of teaching or research.
 - (4) Except as provided by this Act, the management of a college shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep, and its Principal shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control over its Staff. Provided that where as the college of technology, Pantnagar though under the control of and attached to the G.B. Pant Agriculture and Technology University Pantnagar, yet the admission and academic functions of the said college shall be conducted under the provision of this Act.
 - (5) Every college shall furnish such reports, returns and other particulars as the Executive Council or the Vice-Chancellor may call for.
 - (6) The Executive Council shall cause every college to be inspected from time to time at intervals not exceeding five years by one or

**Affiliation of
Colleges**

more persons authorised by it in that behalf and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

- (7) The Executive Council may direct a college so inspected to take such action as may appear to it to be necessary within such period as may be specified.
- (8) The privileges of affiliation of a college which fails to comply with any direction of the Executive Council under sub-section (7) or to fulfil the conditions of affiliation may, after obtaining a report from the Management of the college and with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn or curtailed by the Executive Council in accordance with the provisions of the Regulations.
- (9) Notwithstanding anything contained in sub-sections(2) and (8), if the Management of any college has failed to fulfil the conditions of affiliation, the Chancellor may, after obtaining report from the Management and the Vice-Chancellor, withdraw or curtail the Privileges of affiliation.

**Disqualification
for membership
of management**

25.

person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Management of a college (other than a college maintained exclusively by the State Government or by Local Authority), if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for such college or any contract for the supply of goods to, or, for the execution of any work for such college.

Explanation:- The term "relative" shall have the meaning assigned to it in the explanation to sub-section (4) of section 17.

**Inspection
and inquiry**

26.

- (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person as it may direct, of any college, including its buildings, laboratories and equipments and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by it, or cause an inquiry to be made in respect of any matter connected with the administration and finances of such college.

- (2) Where the State Government decides to cause an inspection or an inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the Management of the college and a representative appointed by the Management and where the Management fails to appoint a representative, the Principal of the college may be present at such inspection or inquiry and shall have the right to be heard on behalf of the Management but no legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of the college at such inspection or inquiry.
- (3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of the Civil Procedure, 1908, for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and any proceedings before him or them shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.
- (4) The State Government may communicate to the Management of the college, the result of such inspection or inquiry and may issue direction as to the action to be taken and the Management shall forthwith comply with such direction.
- (5) The State Government shall inform the Vice-Chancellor about the communication made by it to the Management under sub-section (4) and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.
- (6) The Vice-Chancellor shall then within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council.
- (7) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering an explanation, which the University authorities may furnish, issue such directions, as it may

think fit, and the University authorities shall be bound to comply with such directions.

- (8) The State Government may, at any time, call for any information from the Management or Principal of college in connection with such inspection or inquiry.

Institute 27.

The University, with the prior approval of State Government may establish one or more institutes to organize and conduct teaching and research in any subject.

Bar of Charging any Donation etc. for Admission to a College 28.

No person connected with the Management of a college and no Principal or other teacher or employee thereof shall directly or indirectly take or receive or cause to be taken or received any contribution, donation, fees or any other payment of any sort, either in cash or in kind, except the fees at the rates laid down in the Regulations from or on behalf of any pupil as a condition for granting him admission to or permitting him after such admission to continue in such college.

Contribution and Donation to College 29.

Where a contribution or donation, either in cash or in kind, is taken or received by any college including a college maintained exclusively by the State Government or a Local Authority, the contribution or donation so received shall be utilized only for the purpose for which it was given to it and in the case of a college maintained exclusively by the State Government any cash contribution or donation shall be credited to the personal ledger account of such institution which shall be operated in accordance with the general or special orders of the State Government.

**CHAPTER-VI
REGULATIONS**

Regulations How Made 30.

- (1) The First Regulations of the University shall be made by the State Government by notification.

- (2) The Executive Council may, from time to time, make new or additional Regulations or may amend or repeal the Regulations referred to in sub-section (1).

Provided that the Executive Council shall not make, amend or repeal any Regulation affecting the status, power or constitution of any Authority of the University until such Authority has been given a reasonable opportunity to express its opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed has been considered by the Executive Council.

- (3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the State Government may in order to implement any decision taken by it in the interest of learning, teaching or research on the basis of any suggestion or recommendation of the University Grants Commission or All India Council for Technical Education or the State or National Education Policy require the Executive Council to make new or additional Regulations or amend or repeal the Regulations referred to in sub-section (1) or sub-section (2) within a specified time and if the Executive Council fails to comply with such requirement the State Government may make new or additional Regulations or amend or repeal the Regulations referred to in sub-section (1) or sub section (2).

31.

Regulations

Subject to other provisions of this Act the Regulations may provide for any matter relating to the University and shall in particular, provide for:-

- (a) the appointment, powers and duties of the officers of the University;
- (b) the constitution of Pension or Provident Fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of the officers and employees of the University;
- (c) the conferment of honorary degrees;
- (d) the withdrawal of degrees and other academic distinctions;

- (e) the conditions under which colleges may be admitted to the privileges of affiliation by the University and the conditions under which any such privilege may be withdrawn;
- (f) the degrees and other academic distinctions to be awarded by the University, the qualification for the same and the amounts to be taken relating to the granting and obtaining of the same;
- (g) the fees to be charged for courses of the study in the University and for admission to the examinations, degrees and other academic distinctions of the University;
- (h) the conditions of the award of the fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (i) the conduct of examinations including terms of office and manner of appointment and duties of examining bodies, examiners and moderators;
- (j) the power to remove officers (excluding Chancellor) and employees of the University and their emoluments and terms and conditions of service;
- (k) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Regulations.

CHAPTER-VI

ANNUAL REPORTS AND ACCOUNTS

Annual Report 32.

- (1) The Annual Report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects.
- (2) The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor on or before such date as may be prescribed.
- (3) A copy of annual report, prepared under sub-section(1) shall be submitted to the State Government also.

- Accounts and Audit**
33. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall, once at least every year, and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Director, Local Fund Accounts, Uttaranchal or by such person or persons as the State Government may authorize in this behalf.
- (2) A copy of the annual accounts and the balance sheet together with the audit report thereon shall be submitted to the State Government along with the observation, if any, of the Executive Council before the thirtieth of September, every year.
- (3) Any observations made by the State Government on the annual accounts shall be brought to the notice of the Executive Council and the views of the Executive Council, if any, on such observations shall be submitted to the State Government.
- Surcharge**
34. (1) Whenever any complaint is received by the State Government regarding loss, waste or misapplication of any money or property of the University or the State Government on its own thinks fit, it may direct for special audit of the University to be done by the Director, Local Fund Accounts, Uttaranchal or by any officer subordinate to him.
- (2) On receiving special audit report, the State Government shall issue a notice to the officer of the University on account of whose negligence or misconduct, the loss, waste or misapplication referred to in sub-section (1), has occurred, calling upon him to explain his action within the time fixed by the State Government in this behalf.
- (3) The State Government, after considering the audit report and the reply of the officer referred to in sub-section (2), may take suitable decision in this behalf.
- (4) If the State Government is of the opinion that the officer should be held responsible for paying the surcharge determined by the

State Government, the surcharge shall be recovered as land revenue arrears or in such other manner as may be directed by the State Government.

CHAPTER-VIII
MISCELLANEOUS

Manner of Appointment of Officers and Members of the Authorities

35.

- (1). Except as expressly provided by this Act, or the Regulations, officers of the University and Members of Authorities of the University shall so far as possible, be chosen by methods other than election.
- (2). Where a provision is made in this Act or the Regulation for any appointment by rotation or according to seniority or other qualifications, the manner of rotation and determination of seniority and other qualifications shall be such as may be prescribed.

Filling up of Casual Vacancies

36.

- (1). Any casual vacancy among the members, other than *ex-officio* members, of any Authority or Body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up was chosen, and the person filling the vacancy shall be member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.
- (2). A person who is a member of an Authority of the University as representative of another Body, whether of the University or outside, shall retain his seat on such Authority so long as he continues to be the representative of such Body.

Proceeding not to be invalidated by vacancy, etc.

37. No act or proceeding of any Authority or Body or Committee of the University shall be invalid merely by reason of:

- (a) any vacancy or defect in the constitution thereof, or
- (b) some person having taken part in the proceedings who was not entitled to do so, or
- (c) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as member thereof, or

- (d) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

38. The Executive Council may by a two-third majority of the members present and voting remove any person from membership of any Authority or other Body of the University on the ground that such person has been convicted of an offence which, in the opinion of the Executive Council, is an offence involving moral turpitude or upon the ground that he has been guilty of scandalous conduct or had behaved in a manner unbecoming of a member of the University and may upon the same grounds withdraw from any person any degree or certificate conferred or granted by the University.

**Removal from
Membership
of the
University**

39. If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as or is entitled to be member of any Authority or other Body of the University or whether any decision of any Authority or the officer of the University (including any question as to the validity of a Regulation) is in conformity with this Act or Regulations made thereunder, the matter shall be referred to the Chancellor and the decision of the Chancellor thereon shall be final.

**Reference to
the
Chancellor**

Provided that no reference under this Section shall be made:

- (a) more than three months after the date when the question could have been raised for the first time;
- (b) by any person other than an Authority or officer of the University or a person aggrieved.

40. No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government or the University or any officer, Authority or Body thereof in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of the Act or Regulations made thereunder.

Bar of Suit

41.

- (1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceedings or a resolution of any Authority or Committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as *prima facie* evidence of such

**Mode of Proof
of University
Record**

receipt, application, notice, order, proceedings, resolution or a document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions recorded therein where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

- (2) No officer or servant of the University shall in any proceeding to which the University is not a party, be required to produce any document, register or other record of the University, the contents of which can be proved under sub section (1) by a certified copy or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the court made for special cause.

Right to Appeal

42. Every employee or student of the University or of a constituent college or affiliated college, shall, notwithstanding anything contained in this Act, have a Right to Appeal within such time as may be prescribed, to the Executive Council against the decision of any Authority of the University or of the Principal of any such constituent college or an affiliated college, as the case may be, and thereupon the Executive Council may confirm, modify or change the decision appealed against.

Power to Remove Difficulties

43. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty by notified order direct that the provision of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient.

Provided that no such order shall be made after Dec, 2005

- (2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before the State Legislative Assembly.
- (3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty, as is referred to in sub-section (1), existed or required to be removed.

By Order,

I. J. Malhorta,
Principal Secretary.